

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या - ----0150/2022----- आवेदन सं० ----0150/13-01-2022-----

चूंकि श्री/श्रीमति - Shailendra Kumar Varma-----According to Available Record Index- 11

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के सख्त में निबधित सख्तवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार दिवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले सख्तवहारों और अवभारों के बारे में वही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० -----01-01-2006----- स ता०-12-01-2022-----तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न सख्तवहारों और अवभारों का पता चला सम्पत्ति ऋण अवभार से मुक्त है-----

चला है अतः-----

क्र०स०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दरतावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	03	4	5	6	7	8	9
	Mauza-Simli Murarpur, P.S -Malsalami, Khata No -297, 302. Plot No -399, 400, Area-12 Katha 01 Dhur							

Sai Ashirwad Construction Private Limited

Director



1. दरतावेज के अनुसार विवरण दर्ज करे।

2. बचक-पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करे। बचक को उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करे।

मे यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त सच्यवहारी और अकमारी को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य सच्यवहार और अकमार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)

[Handwritten Signature]

(पदनाम)

[Handwritten Name]

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर)

[Handwritten Signature]

(पदनाम)

[Handwritten Name]

कार्यालय - अवर निबंधन कार्यालय पटना सिटी

तारीख -----13-01-2022-----



[Handwritten Signature]
प्रभारी निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो सच्यवहार और अकमार दिखे हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से निम्न विवरण देखा जाये कि किसी संपत्तियों को निबंधित दरतावेज में दिखाया गया हो तो वे सब दरतावेजों से प्रमाणित सच्यवहार (ट्रान्जेक्शन) प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बचक) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रमाणित दशा में आते हैं अथवा उनकी प्रतिनिधि लेना चाहते हैं किन्हे निर्दिष्ट संपत्तियों के अकमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियो और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूंकि उसके बाद दूँदे गये सच्यवहारों और अकमारों की सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है इसलिए प्रेषित आवेदक द्वारा दूँदे गये सच्यवहारों और अकमारों की धूल के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़सके।

कार्यालय अवर निबंधक पटना सिटी।

द्राप संख्या 157

दिनांक 13/1/22

आवेदक श्री/श्रीमति - Shalendra Kumar Varma

का ऋणमार प्रमाण-पत्र द्वारा -To, Branch Manager, State Bank of India, RACPC Branch, Patna

का उनका पत्र संख्या ----- दिनांक ----- एक प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

Sai Ashirwad Construction Private Limited

[Handwritten Signature]

Director



प्रभारी निबंधन पदाधिकारी
पटना सिटी

[Handwritten Signature]